न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम गुड्डी देवी पत्नी ओमप्रकाश रैगर जाति रैगर नि.लवाण

मिसल न. 09/2023 निर्णय दिनांक-23.08.2023

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लवाण ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की अतिक्रमी गुड्डी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी लवाण तहसील लवाण ने ग्राम लवाण के आराजी खसरा न.4176 किस्म सिवायचक बंजड़ कुल रकबा 0.65 है० भूमि पर संवत 2080 फसल वर्ष खरीफ मे से रकबा 0.04 है० पर तारबंदी व बबूल की ढेर लगाकर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी बावजूद तामिल उपस्थित नहीं । जिससे अतिक्रमी के विरूद्‌ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्‌ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखती है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर अतिक्रमण कर तारबंदी व बबूल की ढेर को भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 0.10 रु. का 50 गुना 5 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक लवाण एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल लवाण को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 23.08.2023 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील लेख भण्डार हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Date: 2023.08.23 15:11:57 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र मोहन)
तहसीलदार लवाण
जिला दौसा(राज.)

तहसीलदार लवाण
जि. दौसा (राज.)